न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या 76/15 निर्णय दिनांकः 15-7-22
(जीसीएमएस संख्या 2016/00343)

1. अमीकंवर पत्नी श्री करन सिंह जाति राजपूत निवासी गोगडियाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 10—03—2008
उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 10—03—2008 जिसके द्वारा अपीलांट की अपील विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के पति को ग्राम गोगडियाला में खसरा नम्बर 557 तादादी 35 बीघा भूमि भूमि आरजी काश्त आवंटन हेतु आवंटन की गई था विधिवत आवंटन आदेश जारी किया गया तथा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवंटन पश्चात् अपीलांट्रा के पति को कब्जा प्रदान करते हुए राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। तभी से वादग्रस्त भूमि पर अपीलांटा का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि का नवीनीकरण भी अपीलांट्रा के पति के नाम से संवत् 2048 से 2061 तक निरन्तर किया जाता रहा है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर तमाम अधिकार पूर्व में अपीलांटा के पति व वर्तमान में अपीलांटा के उत्पन्न हो चुके है। वादग्रस्त भूमि कालान्तर में चकबन्दी आने पर चक 4 जीडब्ल्यूएम 'ए' के मुरब्बा नम्बर 30/56 के रूप में पैमूद हुई।

उन्होनें आगे कथन किया कि आराजी जैर के नवीनीकरण बन्द होने व चकबन्दी में आने के पश्चात् अपीलांट्रा के पक्ष में पुख्ता आवंटन की कार्यवाही अदालत मातहत द्वारा की जानी चाहिए थी। परन्तु तहसीलदार उपनिवेशन द्वारा दिनांक 26–06–1979 को अपीलांटा के पति का आरजी काश्त आवंटन इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि अपीलांट्रा के पति करणसिंह तत्समय नाबालिग थे। जिसके विरूद्व अपील प्रस्तुत करते हुए अपीलांट्रा द्वारा कथन किया गया था कि वादग्रस्त भूमि के आवंटन के समय उनके पति बालिग थे। राजकीय भूमि का आवंटन एवं विकय नियम 1975 के तहत वादग्रस्त भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता आरती काश्त आवंटी की है। राज्य सरकार द्वारा आरजी काश्त आवंटियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही समय–समय पर परिपत्रों एवं अधिसूचनाओं के माध्यम से आरजी काश्त आवंटियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अभिलिखित किया गया है कि ऐसे व्यक्ति नियमों में अधिकथित निबंधन और शर्तो पर स्थाई आधार पर भूमि आवंटन के पात्र होंगे। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांटा का आज दिनांक तक कब्जा काश्त है। अदालत मातहत द्वारा मात्र अपीलांट्रा के पति की आयु को आधार बनाते हुए पूर्व में विधिवत आवंटन को मनमाने ढंग से विधि के विरूद्व जाकर कानून व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया, प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की कोई जॉच नहीं की गई। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्व होने से खारिज योग्य आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1993 पेज 596, आरआरडी 2017 पेज 182, आरआरडी 1994 पेज 250, आरआरडी 1994 पेज 259 व एचसी 2017 पार्ट I सीजे पेज 560 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 10—03—2008 के विरूद्व अपील दिनांक 10—03—10 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट्ा के पति की आवंटन के समय आयु 16 वर्ष थी। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि अपीलांट्ा के पति का बालिग नहीं होने की अवस्था में आवंटित नहीं हो सकती थी। अदालत मातहत द्वारा विधि सम्मत तरीके से अपीलांट्ा के पति का आवंटन खारिज किया गया है। अब अपीलांट्ा किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 10—03—2008 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 10—03—2010 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्रा के पति का आरजी काश्त हेतु आवंटित भूमि ग्राम गोगडियाला के खसरा नम्बर 557 तादादी 35 बीघा भूमि जोकि चकबन्दी में आने पर चक 4 जीडब्ल्यूएम 'ए' के मुरब्बा नम्बर 30/56 के रूप में पैमूद हुई, को इस आधार पर खारिज किया गया है कि उक्त आवंटन के समय प्रार्थी करणसिंह की उम्र जनगणना 1971 के अनुसार 16 वर्ष है। अपीलांट्रा द्वारा अदालत मातहत के इस कथन के विरोधाभासी अर्थात अपीलांट्रा के पति करणसिंह की आयु वादग्रस्त भूमि के आवंटन के समय 16 वर्ष नहीं होकर उक्त दिनांक को करणसिंह व्यस्क की श्रेणी में था। चूंकि अपीलांट्रा के पति की आयु आवंटन दिनांक को व्यस्क श्रेणी की थी, इसको साबित करने का भार स्वयं अपीलांटा पर था, जिसे वह दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में साबित करने में असफल रही है। अपीलांट्रा द्वारा न तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे कि उनके इस कथन को बल प्राप्त होता हो कि अपीलांट्रा का पति आवंटन दिनांक को व्यस्क था, अर्थात उसकी आयु 16 वर्ष नहीं थी। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्रा की अपील दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में विधि सम्मत तरीके से खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज कर जाकर उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10–03–2008 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14/7/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

14/7/22

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर